

**सेवायोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, निदेशालय**  
**उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)**  
**पत्रांक / डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्था0नि0/का0आ0/19**  
**दिनांक 25 जून, 2019**  
**कार्यालय-आदेश**

एतद्वारा उत्तराखण्ड लोक-सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या 1वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्रीमती यामिनी त्रिपाठी का स्थानान्तरण धारा -17 (2) (ग) के अधीन प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती स्थल हेतु इन प्रतिबन्धों के साथ किया जा रहा है कि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकें। स्थानान्तरित कार्मिक को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों माह जुलाई -2019 का वेतन उनके नव तैनाती स्थल से आहरित किया जायेगा।

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्रीमती यामिनी त्रिपाठी	वरिष्ठ सहायक	सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी	शिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्र चम्पावत,	प्रशासनिक आधार पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(जे0एस0नागन्याल)  
निदेशक, सेवायोजन

पृष्ठांकन  
प्रतिलिपि:-

1865-73

/ डीटीईयू(सेवा0)/ई-1/स्था0नि0/का0आ0/19

तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़ माजरा देहरादून।
3. उपनिदेशक सेवायोजन, 26 ई0सी0 रोड़ सर्वे चौक देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/हल्द्वानी/चम्पावत।
5. आहरण वितरण अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी, (नैनीताल)।
6. क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा/चम्पावत।
7. बेव इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (10) के अधीन स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 02 दिन के अन्दर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (अपलोड) करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक हेतु।
9. मार्ट पत्रावली निदेशालय (सेवा0)।

(जे0एस0नागन्याल)  
निदेशक, सेवायोजन